

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर


अनवान रामोतार बनाम अतान
 किस्म मुकदमा 80189180 मु0नं0 175 सन् 2021

दिनांक हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

2.06.2021
 वादी मय वकील उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 02.08.2021 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम

2 ⁸/₂₁ वादी मन्दिम उपपत्रिवापी सं 1 व 2 की ओर से जवाबदा पेय किता जथा अप्रिल पत्रावली किता जथा वास्ते पेय छेने वमलतनाम व जेब की तलबी हेद पत्रा दिनांक 16/8/2021 को पेश हो।

Mon-Red
 Red


16 ⁸/₂₁ कनाए फलोकन/वादा/उपस्थित पाठानः
 अधिकारी बाहर पवारे है आयन्दा पत्रावली
 दि. 25.08.21 को पेश होवे।



2 ⁹/₂₁ 16/8/21
 अतान उपपत्रिवापी सं 1 व 2 की ओर से जवाबदा पेय किता जथा अप्रिल पत्रावली किता जथा वास्ते पेय छेने वमलतनाम व जेब की तलबी हेद पत्रा दिनांक 2.9.21 को पेश हो।

कनाए फलोकन/वादा/उपस्थित पाठानः
 अधिकारी बाहर पवारे है आयन्दा पत्रावली
 दि. 8.10.21 को पेश होवे।



27 ⁹/₂₁ प्रामाणिक शर्तों पर के प्रमाण पर पर फलवली भेजा हुई। वादी रामोतार ने प्रमाण पर पेश कर निवेदन किया कि वह अपने वाद को ठगने मही यजाना चाहता निवेदन करता चाहता है वादी को पहचान करि फलवली पर शर्त सेट. ने को। वादी को सुना जाय। वादी का प्रमाण पर स्वीकार किया जाय। उपपत्रिवापी फलवली निवेदन करे। वादी कोपन काए को ठगने मही यजाना चाहता है। उपपत्रिवापी का वाद स्वीकार किया जाय। उपपत्रिवापी सुनाय लेवले शर्तों पर शर्तों से।

रामोतार


उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम (अलवर)